रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4992] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940
No. 4992] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6226(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 20.09.2018 को पीडी-12001/16/2018-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री मुहम्मद फिरोज थलंगारा पुत्र श्री मुहम्मद थलंगारा अब्दुल रहीमन, थलंगारा हाऊस, सीथांगोली, पोस्ट बॉक्स इडनाद, कुम्बला, कसरगोद जिला, केरल- 671321 और अस्थाई पता- फ्लैट सं. 704, 7वां तल, डीसीबी बैंक के पास, मिलियनेर हैरीटेज, अंधेरी सब्वे के सामने, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई को हिरासत में लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, पूजाप्पुरा तिरूअनंतपुरम , केरल में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, तस्करी को बढ़ावा देने, तस्करी का माल लाने-ले जाने या माल छुपाने या रखने द्वारा अन्यथा से तस्करी के निषिद्ध माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, केरल सरकार, पुलिस मुख्यालय त्रिवेन्द्रम के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/16/2018 – कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 20th December, 2018

S.O. 6226(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order No. PD-12001/16/2018-COFEPOSA dated 20.09.2018 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Firoz Thalangara S/o Shri Mahamood Thalangara Abdulrahiman, Thalangara House, Seethangoli P.O. Ednad, Kumbala, Kasargod District, Kerala-671321 and Temporary Address at Flat No. 704, 7th Floor, Next to DCB Bank, Millionaire Heritage, Opp. Andheri Subway, Andheri West, Mumbai, be detained and kept in Central Jail Poojappura, Thiruvananthapuram, (Kerala), with a view to preventing him from smuggling goods; abetting the smuggling of goods; and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Kerala, Police Headquarter, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/16/2018-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.21 20:11:22 +05'30'